



## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 21.04.2026

- महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की एक और कार्यवाही।
- थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म की घटना में वाँछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.04.2026 को अभियुक्त हरगोविंद यादव उर्फ छकाड़ी पुत्र स्व० इंदजीत निवासी ग्राम असेवा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात द्वारा वादिनी के घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने व वादिनी को शारीरिक मानसिक व आर्थिक शोषण करने तथा परिवारीजनो को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु०अ०सं० 132/2026 धारा 64(1)/351(3)/333 बीएनएस० बनाम हरगोविंद यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 21.04.2026 मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त हरगोविंद यादव उर्फ छकाड़ी पुत्र स्व० इंदजीत निवासी ग्राम असेवा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात उम्र करीब 38 वर्ष को सिखमापुर मोड़ पुखरायां, भोगनीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण-

1. हरगोविंद यादव उर्फ छकाड़ी पुत्र स्व० इंदजीत निवासी ग्राम असेवा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात उम्र करीब 38 वर्ष।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 218/2014 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम, व 420/467/468/471 भा०द०वि० थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात,
2. मु०अ०सं० 314/2014 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात,
3. मु०अ०सं० 556/2014 धारा 3 उ०प्र० गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात,
4. मु०अ०सं० 132/2026 धारा 64(1)/351(3)/333 बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात,

### गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह,
2. निरीक्षक बीरेन्द्र बहादुर यादव,
3. हे०का० 608 राजीव कुमार,
4. का० 418 गुलशन यादव,